संख्या–1063/49–3–2018–100(15)/2006

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 09 मई, 2018.

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ को देय सदस्यता शुल्क की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–61/लेखा–अ, दिनांक 02 मई, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ को देय वार्षिक सदस्यता शुल्क/अनुदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है।

2– उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था/नियमों के अधीन आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

3– स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–18 के अधीन लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–003–प्रशिक्षण–05–सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान, 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5– उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2018–बी–1–375/दस–2018–231/2017, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
विशेष सचिव।

संख्या–1063(1)/49–3–2018, तददिनॉक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
5– वित्त नियंत्रक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
6– निदेशक, आई0सी0सी0एम0आर0टी0, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7– वेब मास्टर, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश बहादुर)
संयुक्त सचिव।